भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1178

उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

†1178. डॉ. के. सुधाकरः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लए आव धक निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लए स्वीकृत नि ध का वद्यालयों द्वारा समु चत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक राज्य में पछले दो वर्षों के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में क मयों और खाद्य वषाक्तता के कुल कतने मामले सामने आए हैं?

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) के साथ साझेदारी में लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण अ धकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाल वाटिका (कक्षा-I से ठीक पहले) और कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के **10.35** लाख से अ धक स्कूलों में लगभग **11** करोड़ बच्चे शा मल हैं। पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। वत्त वर्ष **2025-26** के लए, पीएम पोषण योजना के लए भारत सरकार द्वारा **12,500** करोड़ रुपये का बजट आवंटन कया गया है और साझा करने की पद्धति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग **8,500** करोड़ रुपये की रा श साझा

करते हैं, जिसमें रसोइया-सह-सहायकों और पूरक पोषण मदों के मानदेय के लए अतिरिक्त नि ध शा मल है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन **24.15** लाख मीट्रिक टन है, जिसकी लागत लगभग **9000** करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वत्त वर्ष **2025-26** के लए पीएम पोषण योजना के लए कुल आवंटन **30,000** करोड़ रुपये से अ धक है, जिसमें भारत सरकार द्वारा कए गए **21,500** करोड़ रुपये से अ धक शा मल हैं।

भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लए वस्तृत दिशा-निर्देश जारी कए हैं। ये दिशानिर्देश आ धकारिक वेबसाइट **https://pmposhan.education.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लए गुणवत्ता और ब्रांडेड मदों की खरीद करने, रसोइया-सह-सहायकों को प्र शक्षण, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शक्षक सहित स्कूल प्रबंधन स मति (एसएमसी) के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद चखना शा मल है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लए क भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रत्यायन प्राप्त या मान्यता प्राप्त कसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों के परीक्षण का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उ चत औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम पोषण योजना के तहत, राज्य के अ धकारियों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य है ता क प्रभावी कार्यान्वयन, गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने व शष्ट निगरानी तंत्र स्था पत कए हैं।

सरकार द्वारा सार्वजनिक वत्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रणाली शुरू की गई है जिसके तहत राज्य सरकारों ने राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते खोले हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नि ध एसएनए खाते में स्थानांतरित की जाती है जो व्यापक निगरानी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है। वत्तीय वर्ष की शुरुआत में केन्द्रीय अंश की पहली कस्त वत्तीय वर्ष के लए राज्य हेतु निर्धारित रा श के **25%** से अ धक जारी नहीं की जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय हिस्से की दूसरी, तीसरी और चौथी कस्तें एसएनए खाते में कुल उपलब्ध नि धयों के **75%** के व्यय और पूर्व स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के बाद जारी की जाती हैं।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम **20** स्कूलों या **2%** स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लए अ धक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करनी होती है। सामाजिक लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर के **32,664** स्कूलों में सामाजिक लेखापरीक्षा की है। साथ ही, राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों ने अपने ना मत अ धकारियों के माध्यम से वर्ष **2024-25** में **9.78** लाख स्कूलों और वर्ष **2025-26 (**अक्टूबर तक) में **8.21** लाख स्कूलों का निरीक्षण कया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश भर में प्रत्यायन प्राप्त प्रयोगशालाओं में वर्ष **2024-25** में **25,389** और वर्ष **2025-26 (**अक्टूबर तक) में **21,074** भोजन परीक्षण कए हैं।

इस योजना में वस्तृत निगरानी तंत्र का भी प्रावधान है जैसे माननीय केंद्रीय शक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अ धकार प्राप्त स मति, स चव (स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य स चव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी स मति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी स मति। पीएम पोषण दिशानिर्देश में तिमाही आधार पर योजना की निगरानी के लए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एमपी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय स मति का प्रावधान हैं।

पछले **2** वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में पीएम पोषण योजना (जिसे पहले मड-डे मील योजना के रूप में जाना जाता था) के तहत दोषों और खाद्य वषाक्तता का कोई मामला सामने नहीं आया है।

*****